

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव

सेवा में,

अवर सचिव - सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, राँची ।

राँची, दिनांक 9-7-13

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-01-मुख्यालय सचिवालय स्थापना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

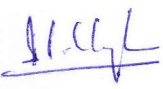
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्रमांक | मांग संख्या /<br>शीर्ष                                   | मुख्य                                    | उप मुख्य शीर्ष /लघु<br>शीर्ष   | उप शीर्ष | आवंटित राशि<br>(लाख ₹ में) |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|
| 1       | 2                                                        | 3                                        | 4                              | 5        |                            |
| 1.      | मांग संख्या 49 जल<br>संसाधन विभाग /<br>2701-मध्यम सिंचाई | 80 सामान्य<br>/001-निदेशन तथा<br>प्रशासन | 01-मुख्यालय सचिवालय<br>स्थापना |          | 1.50                       |

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - रुपये एक लाख पचास हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 248.90 लाख (दो करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहा. अभि.

  
(एस. के. सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
10. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
11. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

48

राँची, दिनांक :- 9-7-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

48

राँची, दिनांक :- 9-7-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहा. अभि.

(एस. के. सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

I ५१९१८

पत्रांक ५४ दिनांक १-७-१३ का अनुलग्नक

(आवंटित राशि लाख रुपये में)

| क्र० सं० | वित्तीय वर्ष<br>2013-2014                                          |                | विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते |             | विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय | विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय |               |                  |                     |        |                               |                |         |           |  | विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ | विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय | (आवंटित राशि लाख रुपये में) |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------|--------|-------------------------------|----------------|---------|-----------|--|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
|          |                                                                    |                | वेतन                            | एलए टीओ सी० |                              | देशीय यात्रा व्यय               | कार्यालय व्यय | मशीनरी एवं उपकरण | आपूर्ति एवं सामग्री | दूरभाष | मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं मरम्मति | विशिष्ट प्रसार | कुल योग | अभियुक्ति |  |                               |                            |                             |  |
| 1        | 2                                                                  | 3              | 4                               | 5           | 6                            | 7                               | 8             | 9                | 10                  | 11     | 12                            | 13             | 14      |           |  |                               |                            |                             |  |
| 1        | अवर सचिव - सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सोंधी । | पूर्व का आवंटन | 152.000                         | 0.250       | 2.000                        | 2.500                           | 0.750         | 0.750            | 0.750               | 2.000  | 0.750                         | 161.750        |         |           |  |                               |                            |                             |  |
|          |                                                                    | अतिरिक्त आवंटन | 0.000                           | 0.000       | 1.500                        | 0.000                           | 0.000         | 0.000            | 0.000               | 0.000  | 0.000                         | 1.500          |         |           |  |                               |                            |                             |  |
|          |                                                                    | कुल आवंटन      | 152.000                         | 0.250       | 3.500                        | 2.500                           | 0.750         | 0.750            | 0.750               | 2.000  | 0.750                         | 163.250        |         |           |  |                               |                            |                             |  |

रुपये एक लाख पचास हजार मात्र

प्रधान सचिव  
(एसओ को शतापथी)